



2026:AHC:164349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27481 वर्ष 2026

लवलेश कुमार

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोनिका आर्या, राजीव रंजन त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से पेश एजीए ने कहा कि उन्हें निर्देश मिल गए हैं और अगर ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि सह-आरोपी लेखपाल रविशंकर द्विवेदी ने पैसे की मांग की थी। आरोप है कि लेखपाल द्वारा पैसे लेने के बाद आवेदक को वह रकम सौंपी गई थी। जब ट्रैप टीम पहुँची, तो आवेदक सिर्फ पैसे गिन रहा था। आवेदक ने रिश्वत की कोई मांग नहीं की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अधिकतम सज़ा सात साल है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 9.6.2026 से जेल में है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राज्य की ओर से एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन मामले के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया।
5. राज्य की ओर से एजीए ने आवेदक के आपराधिक इतिहास या पिछली गतिविधियों के बारे में ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं बताई है, जिससे उसे ज़मानत न मिल सके।
6. राज्य का यह कहना नहीं है कि आवेदक ने जांच या विचारण न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।
7. सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को अच्छी तरह से माना है कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में। सर्वोच्च न्यायालय ने **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) SCC 51** मामले में इस सिद्धांत को फिर से दोहराया है। राज्य की ओर से एजीए ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई है जिसके आधार पर आवेदक को ज़मानत देने से इनकार किया जा सके।
8. राज्य की ओर से एजीए ने ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे लगे कि आरोपी साक्ष्यों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या आरोपी का स्वभाव ऐसा है कि उसके बाहर रहने से गवाह डर सकते हैं, या आरोपी अपनी आज़ादी का इस्तेमाल न्याय में बाधा डालने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।
9. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से पेश विद्वान एजीए ने ऐसी कोई ठोस जानकारी या परिस्थितियां नहीं दिखाई हैं जिनसे यह संकेत मिले कि आवेदक न्याय से भाग सकता है, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, या अपराध दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने जैसी अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है।
10. राज्य की ओर से पेश विद्वान एजीए ने ऐसा कोई साक्ष्य या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे यह साबित हो कि जनता या राज्य के व्यापक हित में आरोपी/आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।
11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय



व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है।
ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार की जाती है।

12. केस क्राइम नंबर 0008/2026 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7A, 12 के तहत; पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार निवारण, बांदा, जिला बांदा - एसीओ उ.प्र.) में शामिल आवेदक **लवलेश कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- i. आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- iii. आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो, और/या जब भी ज़रूरत हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा।
- iv. आवेदक वैसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- vii. अगर आवेदक अपना रिहायशी पता बदलता है, तो उसे संबंधित न्यायालय को अपने नए पते के बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा।

13. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय में ज़मानत निरस्त करने की प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

6 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वीएमए

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!